


वर्ग क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम अह हुक म
15-6-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। लैंड होल्डर अप्रार्थी व वकील प्रार्थी उप० है। लैंड होल्डर वाजदायरी प्रा०पत्र का जबाब प्रस्तुत नहीं कर इस पर सीधे ही बहस करना चाहते हैं। अतः बहस अवयपत्र सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-6-2021 को पेश हो।</p> <p>उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)</p>	
22-6-2021	<p>वकील प्रार्थी व लैंड होल्डर उप० वाजदायरी प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलेशुमार टोकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)</p>	



15/12/21

15/12/21

उत्तर निर्णय  
३३-६-२०२१

रमकेशन पुत्र-प्रभूलाल, रैगर निवासी वार्ड नं० 19 गंगपुर सिटी — प्रार्थी  
बनाम

एक्टर जारिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगपुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत निरस्त किये जाने एकतरफा कार्यवाही दिनांक 17.12.2019 व एकतरफा डिक्री दिनांक 9.2.2021 न्यायालय हाजा मुकदमा नम्बर 97/2019 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन, धारा 177 आर.टी.एक्ट उपस्थित: श्री मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट, प्रार्थी की ओर लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगपुर सिटी, अप्रार्थी

### निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार गंगपुर सिटी ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि ख0न0 5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8100/5376 रकबा 0.12 है0, ख0न0 8101/5376 रकबा 0.10 है0 रामकिशन पुत्र प्रभूलाल जाति रैगर निवासी रैगर मौहल्ला गंगपुर सिटी की खातेदारी मे अंकित है लेकिन खातेदार ने इस भूमि को अकृषि मे परिवर्तित कर दिया है। इसलिए इस भूमि को सिवायचक अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी को नोटिस जारी किये गये लेकिन प्रार्थी की प्रोपर तामील हुए बिना ही दिनांक 17.12.2019 को प्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश प्रदान कर दिये गये तथा दिनांक 9.2.2021 को डिक्री पारित कर प्रार्थी की उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नही थी। एकतरफा आदेश व एकतरफा डिक्री की जानकारी प्रार्थी को अदालत हाजा से भूमि को सिवायचक दर्ज करने के लिए तहरीर जाने के दिनांक 26.2.2021 को हुई है। अतः प्रार्थना पत्र इस प्रकार प्रस्तुत है कि अदालत हाजा का पारित निर्णय नियम विरुद्ध है। अदालत हाजा ने प्रार्थी की प्रोपर तामील हुए बिना ही प्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। प्रार्थी ने अपनी भूमि के विकास के लिए भूमि मे दो मकानो का निर्माण कर रखा है। मात्र इस आधार पर अदालत हाजा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सत्य

उप जिला कलेक्टर  
गंगपुर सिटी (स०मा०)



न्याय करने में कानूनी मूल की है। न्यून ने प्रार्थी का हित निहित  
इच्छा प्रार्थी के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही, निर्णय व डिक्री  
जिसे जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
निरस्त है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया  
एकतरफा कार्यवाही व एकतरफा डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र  
नकल प्रार्थना पत्र, नकल आदेशिका, नकल निर्णय दिनांक 9.2.2021, नकल  
प्रार्थना पत्र तहसीलदार गंगापुर सिटी धारा 177 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।  
अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया  
इसलिए ही बहस का निवेदन किया गया।

बहस विद्वान वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी सुनी  
रही।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुसार बहस करते हुए  
कहा कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। इस भूमि को धारा  
90 क भू राजस्व अधिनियम के तहत अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित कराने हेतु  
प्रार्थी ने स्वयं ने नगर परिषद गंगापुर सिटी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था,  
जिस पर नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 3.3.2021 को इस भूमि को  
धारा 90 क भू राजस्व अधिनियम के तहत आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु  
स्वीकृति प्रदान की है। इस आवेदन में पूर्व में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने  
नी न्यून के समक्ष में अपनी अनापत्ति आयुक्त नगर परिषद को प्रेषित की  
थी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने धारा 90 क भू राजस्व अधिनियम के  
तहत वादग्रस्त भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लेने हेतु नगर  
परिषद गंगापुर सिटी द्वारा जारी की गई स्वीकृति आदेश की प्रति भी प्रस्तुत  
की है। आगे बहस में वकील प्रार्थी ने आगे कहा कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी  
के विरुद्ध दिनांक 17.12.2019 को की गई एकतरफा कार्यवाही एवं दिनांक  
9.2.2021 को पारित निर्णय की जानकारी पूर्व में कभी नहीं हुई थी। आदेश  
दिनांक 9.2.2021 की पालना के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को पत्र जारी  
करने के पश्चात ही दिनांक 26.2.2021 को प्रार्थी को जानकारी हुई है  
इसलिए प्रकरण में डिले कन्डोन करते हुए आदेश दिनांक 9.2.2021 व आदेश  
दिनांक 17.12.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

— कलेक्टर  
— (स०मा०)



3)  
उपरोक्त होल्डर ने अपने बहस में कहा कि प्रार्थी द्वारा भूमि को कृषि से परिवर्तित किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तहत वादग्रस्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी को नोटिस की तामील होने के पश्चात ही प्रार्थी के विरुद्ध हाजा द्वारा एकतरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 17.12.2019 एवं निर्णय दिनांक 9.2.2021 पारित किये गये है जो नियमानुसार है। प्रार्थी ने देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार कर बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी में रही है तथा इस भूमि को धारा 90 क भू राजस्व अधिनियम के तहत आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग में लेने के आदेश नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 3.3.2021 को जारी किये गये है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित है, यह स्पष्ट है। आदेश की जानकारी प्रार्थी को देरी से होने के सम्बन्ध में प्रार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। भूमि में प्रार्थी का हित निहित होने के कारण प्रार्थी को सुनवाई के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना विधि अनुकूल है क्योंकि प्रकरण में प्रार्थी की भूमि खातेदारी से कम होकर राज्य सरकार में निहित हो रही है। फलस्वरूप न्यायहित में प्रार्थी के विरुद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही एवं प्रार्थी के विरुद्ध जारी एकतरफा निर्णय निरस्त किये जाकर प्रार्थी को सुना जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 97/2019 उनवानी सरकार बनाम रामकिशन अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट में प्रार्थी रामकिशन के विरुद्ध दिनांक 17.12.2019 को की गई एकतरफा कार्यवाही एवं दिनांक 9.2.2021 को जारी एकतरफा आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी को विधि अनुसार जबाब दावा प्रस्तुत कर सुनवाई का अवसर दिया जाता है।

पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक ११-६-१९ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( अनिल कुमार चौधरी )

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर

गंगापुर सिटी (स०मा०)